समाहरणालय, लखीसराय

(खनन शाखा)

लखीसराय जिला के विभिन्न स्थानों से जब्त दावारहित बालू को निर्माणाधीन नई पुलिस लाईन, लखीसराय में भंडारित बालू की नीलामी हेतु द्वितीय आम सुचना।

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लखीसराय जिला के विभिन्न स्थानों से जब्त 33,500 घनफीट दावारहित बालू निर्माणाधीन नई पुलिस लाईन लखीसराय में भंडारित है। उक्त बालू की नीलामी दिनांक 14.09.2019 को निर्धारित थी, प्राप्त दो आवेदन की जाँच के क्रम में दोनों आवेदन में त्रुटि पाये जाने के कारण समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो सकी।

अतः उक्त जब्त दावारहित बालू की पुनः नीलामी दिनांक 28.02.2019 (गुरूवार) को अपराह्न 1:00 बजे से लखीसराय समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में खुली डाक के माध्यम से की जायेगी। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 26.02.2019 को संध्या 5:00 बजे तक आवेदन कर सकते है। दिनांक 01.02.2019 को प्राकाशित आम सूचना की सभी शर्त्तें पूर्ववत् रहेगी। अपरिहार्य कारण से यदि निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती है, तो वैसी स्थिति में उसके बाद के अगले लगातार कार्य दिवसों में निर्धारित स्थल एवं समय पर होगी। विस्तृत जानकारी के लिए लखीसराय जिला के बेवसाईट www.lakhisarai.bih.inc.in पर देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता
लखीसराय।

समाहरणालय, लखीसराय

(खनन शाखा)

लखीसराय जिला के विभिन्न स्थानों से जब्त दावारहित बालू को निर्माणाधीन नई पुलिस लाईन, लखीसराय में भंडारित बालू की नीलामी हेतु आम सुचना।

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित स्थान पर भंडारित दावारहित बालू की आम नीलामी दिनांक–14.02.2019 को अपराह्न 1:00 बजे से लखीसराय समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में खुली डाक के माध्यम से निम्न शर्तो के अधीन किया जायेगा। अपरिहार्य कारण से यदि निर्धारित तिथि को नीलामी नहीं हो पाती है, तो वैसी स्थिति में उसके बाद अगले लगातार कार्य दिवसों में निर्धारित स्थल एवं समय पर होगी।

क्र0सं0	बलू भंडारण स्थल का नाम	बालू की अनुमानित मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	अभियुक्ति
1	निर्माणाधीन नई पुलिस लाईन, लखीसराय	33500	502500	

सामान्य शर्ते :–

1. नीलामी में भाग लेने हेतु निविदादाता को विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। आवेदन का प्रपत्र जिला खनन कार्यालय, लखीसराय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।
2. डाकवक्ता को निर्धारित अग्रधन राशि के साथ ही अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 निबंधन की अभिप्रमाणित प्रति तथा खनन बकाया नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
3. डाक में निर्माण कार्य में लगे सरकारी प्रतिष्ठान, निबंधन ठेकेदार एवं अन्य उपयोगकर्ता भाग ले सकते हैं।
4. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक प्रतिष्ठान/व्यक्ति को डाक हेतु दिनांक –12.02.2019 को संध्या 5:00 बजे तक सुरक्षित जमा राशि का 15 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट जो लखीसराय में भुगतेय हो एवं वांछित कागजात खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यालय में जमा करना होगा।
5. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। उसके पश्चात ही बालू उठाव के लिए स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर भंडारित स्थल से बालू हटा लेना होगा एवं इस बीच की अवधि में डाक में प्राप्त बालू सफल डाकवक्ता के कस्टोडियन में ही रहेंगे, अन्यथा स्थल से बालू चोरी/क्षति होने की कोई जबावदेही अधोहस्ताक्षरी की नहीं होगी।
7. सफल डाकवक्ता द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत बोली गई सम्पूर्ण राशि को जमा करने में असफल रहते है, तो उनकी अग्रधन की राशि जब्त कर पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्रवाई की जायेगी।
8. सफल डाकवक्ता को नियमानुसार जी0एस0टी0, स्टाम्प शुल्क, आयकर एवं अन्य देय कर आदि का भुगतान भी डाक की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर करना होगा।
9. सफल डाकवक्ता को बालू भंडारित करने में हुए व्यय 1,59,100/– रूपये का भुगतान अलग से करना होगा।

10. सफल डाकवक्ता को बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली–1972 के नियमों एवं शर्तों, श्रम कानूनों, पर्यावरणीय प्रावधानों तथा खान एवं भूतत्व विभाग/समाहर्त्ता द्वारा प्रशासन एवं जनहित में दिये गये अन्य निदेशें का पालन करना होगा।
11. उपर्युक्त शर्तों एवं सरकारी नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में डाक को रद्द करने का पूर्ण अधिकार समाहर्त्ता, लखीसराय को होगा।
12. डाकवक्ता डाक के पूर्व उपर्युक्त स्थल का भ्रमण कर भंडारित बालू का स्वयं आंकलन कर संतुष्ट हो लेंगे एवं तद्नुसार ही डाक में बोली लगायेंगे।
13. यह नीलामी किसी भी न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा।
14. बालू की जो मात्रा दी गयी है, वह अनुमानित है। आपूर्ति के समय इनका वास्तविक मूल्यांकन अनुमंडल पदाधिकारी एवं खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय के संयुक्त निरीक्षण से होगा।
15. इस नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा Clarification के लिए खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय से संपर्क किया जा सकता है।
16. नीलामी में प्राप्त बालू को राज्य के बाहर नहीं भेजा जायेगा अन्यथा सफल डाकवक्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
17. सफल डाकवक्ता को आयकर अधिनियम के तहत 2 प्रतिशत आयकर एवं उसपर नियमानुसार देय सरचार्ज का भुगतान एकमुश्त एक सप्ताह के अन्दर करना होगा, जिसे आयकर मद में जमा कर दी जायेगी।
18. सफल डाकवक्ता को बंदोवस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि बालू खनन क्षेत्रों के पुनरूद्वार एवं पुर्नवास हेतु DMF (District Mineral Foundation) फंड में जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्रफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इस राशि का प्रयोग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
19. सफल डाकवक्ता को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत ई–चालान निर्गत करना होगा, जिसमें वसूली की राशि भी अंकित करनी होगी।
20. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र में स्थायी एवं अस्थायी पता अंकित होना चाहिए, साथ ही यह भी अंकित होना चाहिए की उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है। आचरण प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
21. अपरिहार्य कारणों से किसी भी समय डाक को रद्द करने का पूर्ण अधिकार समाहर्त्ता, लखीसराय को सुरक्षित रहेगा।
22. विस्तृत जानकारी के लिए लखीसराय जिला के वेबसाईट www.lakhisarai.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

Anand Prakash 25/01/19
खनिज विकास पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्त्ता,
लखीसराय।